

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
7/19	136LR Act	गाखिना के 22	2 कर्षी
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
शूरालाल	बनाम	शरकार	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

11/2/19  
 अधिमार्गक प्रार्थी द्वारा प्र. पत्र अंतर्गत धारा 136LR Act वि. 22 अधिमार्गी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट शरिस्ता का अवलोकन किया, प्रमाण दर्ज सप्लायर किया जावे तथा अधिमार्गी गण को जरिये समस्त तलब पर पत्रावली दिनांक 11/3/19 को पेश हो।

11/3/19

एन पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9/4/19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारां)

9/4/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे। बास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 01/5/19 को पेश हो।

01/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपठ। तहसीलदार से रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः लिखा जावे। बास्ते पत्रावली दिनांक 27/5/19 को पेश हो।

27/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे। बास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 01/7/2019 को पेश हो।

6/21

अन्य विभागीय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक...13/7/21...को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

13/21

अन्य विभागीय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक...13/8/21...को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

18/21

पत्रावली कोर्ट-19 के कारण पूर्ववत् स्थिति के पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित। तहसीलदार के पालन रिपोर्ट अपेक्षित है। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट/पत्रावली तहसीलदार दिनांक 29/9/21 को पेश है।

**प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 फाल्गुनी उपखण्ड ग्राम पंच. बापचा**

3/21

पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के फाल्गुनी उपखण्ड श्री. वृत्त स्वीय वृत्त बापचा पर पेश हुई। तहसीलदार इका से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इका से रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार इका ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पत्रावली रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासिंधा से जानकारी करने पर प्राप्ति का प्रार्थनागत उता 7 के पिता का नाम राजेश रिवाडे में मोहनप्रसाद दर्ज है। परन्तु दस्तावेजों में प्रार्थनागत के पिता का नाम मोहन-चन्द्र दर्ज है। मूल में नाम जानकारी करने पर प्रार्थना का नाम मोहनप्रसाद एवं मोहन-चन्द्र दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

मुताबिक तहसीलदार इका की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गोडिया मेहर के ख.नं 153 रकबा 2.15 बीघा ख.नं. 154 रकबा 0.01 विष्वा ख.नं. 784 रकबा 5.05 बीघा ख.नं. 875 रकबा 8.02 बीघा

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

कुल कितना 4 रकवा 16.03 बीघा भूमि में भुराजसक  
अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्राचीन का  
नाम मोहन प्रसाद के स्थान पर मोहन चन्द्र उर्फ  
मोहन प्रसाद राजसक रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश  
दिये जाते हैं। तहसीलदार इबडा तदनुसार फाल्गुनी  
सुनिश्चित करें। पञ्जीवली केशल शुमार होकर  
दालिखत दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
इबडा जिला बरौ (राज.)

प्रशा  
न्यायालय उपस

# “प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी .....दुबड़ा जिला-बारा (राज.).....

## -: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोडिपानेहर ..... व भू.अ.नि. वापचा ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दुबड़ा / ~~अमल दरासद~~ तहसीलदार दुबड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोडिपानेहर ..... तहसील दुबड़ा जिला बारा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 ..... में खाता संख्या 177 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	गोडिपानेहर	177 रवमरा नं. 153 154 784 875	मोहन प्रसाद	मोहन चन्द्र उर्फ मोहन प्रसाद



सुरेश कुमार धेरसोलिया  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बारा (राज.)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2022/.....

दिनांक 03.06.2022.....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार दुबड़ा ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भुरालाल पुत्रा कन्दप्रालाल निवाला गोडिपानेहर ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सुरेश कुमार धेरसोलिया  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बारा (राज.)